

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी )

शुक्रवार 19 मार्च , 2004 / फाल्गुन 29, 1925 (शक)

संख्या: 27

सदस्य की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( जिला उत्तरी पश्चिमी )से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार को उनके समर्थकों सहित दिनांक 18.03.2004 को अपराहन 12.05 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण गांव कंझावला से नजरबंद किया गया ।

उन्हे, उनके समर्थकों सहित, उरी दिन अर्थात दिनांक 18.03.2004 को अपराहन 12.40 बजे थाना कंझावला से रिहा किया गया ।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY  
BULLETIN PART-II**

(General information relating to Legislative & other matters)  
Friday, 19<sup>th</sup> March, 2004 / Phaguna 29 1925 (Saka)

No. 27

**DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon`ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from the Addl. Deputy Commissioner of Police North West District, Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Surender kumar, Hon`ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained u/s 65 of Delhi Police Act for disobeying the lawful direction of Police at Village Kanjhawala, Delhi at 12.05 PM on 18.3.2004.

He was released along with his supporters at 12.40 PM from P.S. Station Kanjhawala on the same day i.e. 18.3.2004."

**SIDDHARTH RAO  
SECRETARY**